बिहार सरकार

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

पंचायत आम निर्वाचन, 2021

पंचायत निर्वाचन के अभ्यर्थियों/ सभी निर्वाचन प्राधिकारियों के लिए

आम सूचना

गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति के संबंध में

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(K) सह पठित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 123 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 73 एवं 116 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में निदेश निर्गत कर **मतगणना प्रक्रिया के लिए गणन अभिकर्त्ता नियुक्त करने के संदर्भ में** निम्नवत् निर्णय लिया गया है:–

ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं सरपंच पद के मतगणना हेतु चिन्हित प्रत्येक हॉल में प्रत्येक 3 (तीन) गणना पटल (टेबल) पर एक गणन अभिकर्त्ता नियुक्त करने की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इस क्रम में मतगणना हॉल के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

PR-07854 (Panchayati Raj) 2021-22

उप सचिव।

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु Toll Free No. 104 पर संपर्क कर सकते हैं।